राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड
91वीं बैठक दिनांक 27 दिसम्बर, 2024

कार्यवृत

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड की 91वीं बैठक दिनांक 27 दिसम्बर, 2024 को अपर मुख्य सचिव, वित्त, उतराखण्ड शासन की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में सचिव, पशुपालन एवं सहकारिता, अपर सचिव वित्त, अपर सचिव ग्राम्य विकास, अपर सचिव समाज कल्याण, संयुक्त सचिव राजस्व, उप सचिव एम.एस.एम.ई., उप सचिव पर्यटन, उतराखण्ड शासन, रेखीय विभागों के उच्च अधिकारियों, क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, मुख्य महाप्रबन्धक, नाबार्ड, महाप्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक (नेटवर्क–2), संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, आई.पी.पी.बी., रेरा (RERA), अध्यक्ष, इन्डस्ट्रियल एसोशियेशन, उत्तराखण्ड, नोडल अधिकारी एवं राज्य में कार्यरत बैंकों के उच्च अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया।

बैठक में एजेण्डेवार बिभिन्न बिन्दुओं पर निम्नवत चर्चा की गयी :

1. कृत कार्यवाही की रिपोर्ट (ATR) :

- सहायक महाप्रबन्धक, एस.एल.बी.सी. द्वारा सदन को निम्नवत अवगत कराया गया :

➢ वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा Department of Financial Services (DFS), Ministry of finance, Government of India को पत्रांक 525/सी0एम0आर0 (76–52455)/स.वि.प्र./2024 दिनांक 23.12..2024 इस आशय से प्रेषित किया गया है कि DFS सभी बैको को निर्देशित करें कि स्वामित्व कार्ड योजना विषयक सभी बैंक अपना Circular/SOP जारी करे।

- IPPB प्रतिनिधि द्वारा निम्नवत अवगत कराया गया :

➢ बैंकिंग सेवाओं से अनाच्छादित अवशेष 14 गांवों में से 10 गांवों में दूरसंचार एवं विद्युत की सुविधा नही है।

➢ 04 गांवों (ग्राम पंचायत हरीशताल, ल्वाड डोबा, गौनियरो एवं ककोड़) में मोबाइल टावर का कार्य गतिमान हैं, जिनका निर्माण कार्य प्रगति पर है, परन्तु वर्तमान में टावरो में कनैक्टविटी की व्यवस्था स्थापित नहीं हो पाई है।

- कृषि विभाग के प्रतिनिधि द्वारा निम्नवत अवगत कराया गया :

➢ चूंकि चालू वित्तीय वर्ष के तीन तिमाही समाप्त हो चुके हैं, अतः 2024–25 के लिए Scale of finance तैयार न कर, आगामी वर्ष 2025–26 के लिए Scale of finance तैयार कर सभी बैंकों को शीघ्र ही प्रेषित कर दिया जाएगा।

(कार्यवाही : बी.एस.एन.एल./कृषि विभाग)

2. 90वीं बैठक के कार्य बिंदुओं की पुष्टि :

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड की 90वीं बैठक दिनांक 12 सितम्बर 2024 के कार्य बिंदुओं पर संबंधित विभागों एवं बैंकों द्वारा की गयी कार्यवाही से राज्य स्तरीय बैकर्स समिति, उत्तराखण्ड को अवगत कराया गया है, जिसकी पुष्टि उप–समितियों की बैठक में सभी सदस्यों की सहमति से मान लिया गया है।

1

भारतीय स्टेट बैंक STATE BANK OF INDIA SLBC. AO-3 राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति प्रशासनिक कार्यालय-3

File No. IFC-SLBC/1/2022-IFC-Finance Department (Computer No. 32598)
Generated from eOffice by ANIL KUMAR SHARMA, ADVISOR BANKING-AKS-Institutional Finance Cell, ADVISOR BANKING, Finance Department on 17/01/2025 04:23 PM

3. <u>राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (SLBC) को सशक्त बनाने के सुझाव :</u>

- सहायक महाप्रबन्धक, एस.एल.बी.सी. द्वारा सदन को निम्नवत अवगत कराया गया :

➢ SLBC की भूमिका राज्य सरकार, DFS, RBI, NABARD और राज्य में कार्यरत बैंकों के बीच एक सेतु के रूप में है जो केवल परामर्श, सहयोग और कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है लेकिन इसके पास कोई नियामक अथवा प्रवर्तन शक्ति नहीं है।

- बैंक प्रतिनिधियो द्वारा सदन को निम्नवत सुझाव दिये गये :

➢ SLBC को एक अलग इकाई के रूप में विकसित किया जाना चाहिए, जिसकें संयोजक राज्य के प्रमुख बैंक हो।

➢ उप–समिति और SLBC की बैठकों में AGM/DGM स्तर से नीचे के अधिकारी शामिल न हों।

➢ एक संयुक्त पोर्टल की आवश्यकता है जहां सभी योजनाओं की रिपोर्टिंग की जा सके।

- मुख्य महाप्रबन्धक, नाबार्ड द्वारा सुझाव दिया गया कि SLBC वर्तमान में अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर रहा है, लेकिन इसे और अधिक मजबूत करने की आवश्यकता है।

- सचिव, पशुपालन, उत्तराखण्ड शासन द्वारा सदन को सुझाव दिया गया कि बैंकिंग मुद्दों से संबंधित सुझाव /शिकायतों के लिए एक जिला स्तरीय मजबूत हेल्पलाइन स्थापित की जाए।

- अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नवत निर्देशित किया गया :

➢ एक प्रारूप संरचना (Draft Structure) तैयार की जाए, जिसमें एसएलबीसी (SLBC) को सशक्त बनाने हेतु कौन–कौन से अधिकार दिए जा सकते हैं, इस पर विचार किया जाए। प्राप्त सुझावों को इस प्रारूप में शामिल किया जाए, और फिर इसे अंतिम रूप देकर डीएफएस (DFS) की मंजूरी के लिए भेजा जाए। सभी संबंधित पक्ष अपने सुझाव समय पर साझा करें ताकि प्रारूप को शीघ्रता से तैयार किया जा सके।

➢ अग्रणी जिला प्रबंधको (LDM's) की भूमिका को सशक्त और अधिक आकर्षक बनाये।

➢ सरकार की योजनाओं को निचले स्तर पर लागू करने और उनकी प्रगति को ट्रैक करने के लिए एक प्रणाली बनायी जाए।

(कार्यवाही : एस.एल.बी.सी./समस्त बैंक/संबंधित विभाग)

4. <u>RERA (उत्तराखंड रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी) के मुद्दे</u> :

- RERA प्रतिनिधि द्वारा द्वारा सदन को निम्नवत अवगत कराया गया

➢ RERA के नियम अनुसार प्रमोटरों/निर्माताओं को आवंटियों से प्राप्त धन के लिए अलग खाते बनाए रखने होते है। 70 प्रतिशत धनराशि निर्माण और भूमि लागत के लिए समर्पित खाते में होनी चाहिए, जबकि 30 प्रतिशत अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग हो सकती है।

➢ प्रमोटरों को 70 प्रतिशत खाते से धन निकासी के लिए प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है। बैंकों से अनुरोध है कि वे प्रमाण पत्रों की जांच के बाद ही धनराशि की निकासी की अनुमति दें।

➢ RERA पंजीकरण के दौरान प्रोजेक्ट्स को बंधक–मुक्त घोषित करना आवश्यक है। कुछ प्रमोटर पंजीकरण के बाद प्रोजेक्ट को बंधक रखते हैं, जिसकी जानकारी RERA या आवंटियों को नहीं दी जाती। बैंकों से अनुरोध है कि वे RERA पंजीकृत प्रोजेक्ट के किसी भी वित्त पोषण की जानकारी साझा करें।

2

File No. IFC-SLBC/1/2022-IFC-Finance Department (Computer No. 32598)
Generated from eOffice by ANIL KUMAR SHARMA, ADVISOR BANKING-AKS-Institutional Finance Cell, ADVISOR BANKING, Finance Department on 17/01/2025 04:23 PM

- अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नवत निर्देशित किया गया :

➢ RERA दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन और बैंकों और RERA के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करे, ताकि आवंटियों के हित सुरक्षित रखे जा सकें।

(कार्यवाही : समस्त बैंक/अग्रणी जिला प्रबन्धक)

5. वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र अंतर्गत वार्षिक ऋण योजना 2024–25 :

- सहायक महाप्रबन्धक, एस.एल.बी.सी., उत्तराखण्ड द्वारा निम्नवत अवगत कराया गया :

➢ वित्तीय सेवा विभाग ने कृषि क्षेत्र अंतर्गत नए संशोधित लक्ष्य निर्धारित किए हैं। वित्तीय वर्ष 2024 – 25 की कृषि क्षेत्र अंतर्गत वार्षिक ऋण योजना **रु. 15440.54** करोड़ में **रु. 3759.46 करोड़** की बृद्वि कर वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु वार्षिक ऋण योजना **रु. 19200.00 करोड़** की गयी है।

➢ यह राशि फसल ऋण के लिए ₹11,400 करोड़ और टर्म लोन के लिए ₹7,800 करोड़ में विभाजित है।

- अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नवत निर्देशित किया गया :

➢ वित्तीय सेवा विभाग से प्राप्त कृषि क्षेत्र के नए संशोधित लक्ष्यो को अनुमोदित करें।

(कार्यवाही : अग्रणी जिला प्रबन्धक/एस.एल.बी.सी.)

6. ऋण जमा अनुपात (C.D. Ratio) :

- सहायक महाप्रबन्धक, एस.एल.बी.सी. द्वारा सदन को निम्नवत अवगत कराया गया :

➢ वित्तीय वर्ष 2024–25 के द्वितिय त्रैमास में राज्य का ऋण जमा अनुपात 53.26 प्रतिशत है।

➢ राज्य के छह जिले यथा : टिहरी, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, पौड़ी और बागेश्वर, वित्तीय समावेशन (FI) सूचकांक में न्यूनतम मानक 40 प्रतिशत से नीचे हैं।

- अध्यक्ष, इन्डस्ट्रीज एसोसियेशन ऑफ उत्तराखंड द्वारा सदन को निम्नवत अवगत कराया गया :

➢ बैंकों से आग्रह है कि ऋण उठाव (Credit offtake) में वृद्वि के लिए सक्रिय और भावनात्मक दृष्टिकोण अपनाये।

- अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नवत निर्देशित किया गया :

➢ बागेश्वर और पिथौरागढ़ में कम CD अनुपात का समाधान खोजने के लिए समिति की योजना बनाएं।

➢ सभी बैंक/विभाग, उत्तराखंड में कृषि ऋण, विशेष रूप से फसल ऋण में सुधार पर ध्यान दें।

➢ सभी जिलों की जिला स्तरीय ऋण–जमा अनुपात समिति सक्रिय रूप से कार्य करे ताकि ऋण–जमा अनुपात में बृद्वि हो सके।

(कार्यवाही : कृषि विभाग/अग्रणी जिला प्रबन्धक/समस्त बैंक)

3

File No. IFC-SLBC/1/2022-IFC-Finance Department (Computer No. 32598)
Generated from eOffice by ANIL KUMAR SHARMA, ADVISOR BANKING-AKS-Institutional Finance Cell, ADVISOR BANKING, Finance Department on 17/01/2025 04:23 PM

7. Expanding and Deepening of Digital Payments EcoSystem :

- सहायक महाप्रबन्धक, एस.एल.बी.सी. द्वारा सदन को निम्नवत अवगत कराया गया :

➢ उत्तराखंड के 13 जिलों में से चार जिलों (अल्मोड़ा, चमोली, पिथौरागढ़ एवं पौड़ी) का शत–प्रतिशत डिजिटलीकरण हो चुका है। राज्य के शेष नौ जिलों को भी डिजिटलीकरण के लिए उनके संबंधित अग्रणी बैंकों को आवंटित किया गया है, और इसे दिसंबर 2025 तक पूरा करने की समय–सीमा निर्धारित की गई है।

- क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि शेष जिलों में शत–प्रतिशत डिजिटलीकरण की प्रकिया प्राथमिकता के आधार पर वर्ष की शुरुआत में पूरा करे।

(कार्यवाही : अग्रणी जिला प्रबन्धक/समस्त बैंक)

8. जनधन खातों मे पुनः केवाईसी (Re-KYC) दिशानिर्देशों की समीक्षा

- सहायक महाप्रबन्धक, एस.एल.बी.सी. द्वारा सदन को निम्नवत अवगत कराया गया :

➢ आरबीआई के निर्देशों के अनुसार, कम जोखिम वाले खातों का पुनः केवाईसी 10 वर्षों में एक बार किया जाना आवश्यक है।

➢ अगस्त–दिसंबर 2014 में पीएमजेडीवाई के तहत लगभग 37.39 लाख खाते खोले गए, जो अब पुनः केवाईसी के लिए पात्र हो गए हैं। कुल 37.39 लाख खातों में से 11 लाख खाते निष्क्रिय हैं। इन खातों में कोई लेन–देन नहीं हो रहा है।

➢ सभी बैंकों को पुनः केवाईसी की प्रक्रिया को अभियान मोड में करने का सुझाव दिया गया।

- अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नवत निर्देशित किया गया :

➢ जनधन खातों मे पुनः केवाईसी (Re-KYC) प्रक्रिया को सरल बनाया जाए।

➢ BCs/CSPs को Re-KYC प्रक्रिया में शामिल करने की संभावना तलाशे।

(कार्यवाही : समस्त बैंक)

9. ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (RSETIs) :

- सहायक महाप्रबन्धक, एस.एल.बी.सी. द्वारा सदन को निम्नवत अवगत कराया गया :

➢ वित्तीय वर्ष 2024–25 के द्वितीय त्रैमास तक आरसेटी संस्थानों द्वारा निर्धारित लक्ष्य 6357 के सापेक्ष 5991 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

➢ कुल 2095 settled प्रशिक्षणार्थी में से 1237 प्रशिक्षणार्थियों ने बैंकों से ऋण प्राप्त कर व्यवसाय प्रारम्भ किया है तथा 858 प्रशिक्षणार्थियों द्वारा स्वयं के साधनो से अपना व्यवसाय प्रारम्भ किया गया है।

- अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नवत निर्देशित किया गया :

➢ आम जनता में जागरुकता फैलाने हेतु ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (Rseti's) के विश्लेषण/उपलब्धियों का प्रचार–प्रसार किया जाये।

➢ केन्द्र/ राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित ऋण योजनाओं का जनसामान्य के बीच व्यापक प्रचार–प्रसार करें।

(कार्यवाही : आरसेटी/ अग्रणी जिला प्रबन्धक/एस.एल.बी.सी.)

4

भारतीय स्टेट बैंक STATE BANK OF INDIA SLBC.AO-3 राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति प्रशासनिक कार्यालय-3

10. <u>किसान क्रेडिट कार्ड संतृप्तता अभियान</u> :

- सचिव, पशुपालन, उत्तराखण्ड शासन द्वारा सदन को निम्नवत अवगत कराया गया :

➢ उत्तराखंड ऐसा एकमात्र राज्य है जिसने पशुपालन के.सी.सी. लक्ष्य सफलतापूर्वक प्राप्त किया है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने में सहयोग के लिए सभी बैंकों का आभार व्यक्त किया गया।

➢ यह सुझाव दिया गया कि मत्स्य पालन से जुड़े विकेताओं को भी KCC (किसान क्रेडिट कार्ड) का लाभ दिया जाना चाहिए।

(कार्यवाही : अग्रणी जिला प्रबन्धक/समस्त बैंक)

11. <u>नाबार्ड</u> :

- मुख्य महाप्रबन्धक, नाबार्ड द्वारा निम्नवत अवगत कराया गया :

➢ कृषि क्षेत्र हेतु नाबार्ड द्वारा बनाये गये बैंकिंग प्लान को बैंकों द्वारा जिला स्तर एवं शाखा स्तर पर लक्ष्य निर्धारित करने की आवश्यकता है, ताकि जमीनी स्तर पर ऋण प्रवाह (GLC) को बढ़ाया जा सके।

➢ NABARD वित्तीय साक्षरता शिविरों, ग्रामीण कनेक्टिविटी, माइक्रो एटीएम और डेयरी भुगतान प्रणाली में सहायता प्रदान कर रहा है।

➢ NABARD JLGs के प्रचार, गठन, और ऋण संबंध जोड़ने के लिए लगभग ₹4000 प्रति JLG का प्रोत्साहन प्रदान करता है। सभी बैंकों से प्रोत्साहनों का उपयोग करने का आग्रह किया गया।

- सचिव, पशुपालन, उत्तराखण्ड शासन द्वारा सदन को निम्नवत अवगत कराया गया :

➢ डेयरी सोसायटियों के लिए माइक्रो एटीएम योजना के तहत किसानों को तुरंत भुगतान की सुविधा दी जा रही है।

➢ चंपावत जिले में डेयरी सोसायटियों के लिए माइक्रो एटीएम पायलट प्रोजेक्ट को शीघ्र शुरु करने कि योजना प्रस्तावित है।

(कार्यवाही : समस्त बैंक)

12. <u>रोजगार सृजन ऋण योजनाओं की प्रगति</u> :

- सहायक महाप्रबन्धक, एस.एल.बी.सी., उत्तराखण्ड द्वारा निम्नवत अवगत कराया गया :

➢ वित्तीय वर्ष 2024–25 के द्वितीय त्रैमास में पी.एम.स्वनिधि योजना अंतर्गत 99%, एन.यू.एल.एम. (Individual) में 124%, एन.यू.एल.एम. (Group) मे 157%, पी.एम. अजय योजना अंतर्गत 83%, पी.एम. एफ.एम.ई. में 62%, ए.आई.एफ. में 36%, मुद्रा में 46%, पी.एम.ई.जी.पी. में 11%, एम.एस.वाई. में 29%, होम स्टे में 31%, VCSGSY, वाहन में 38%, VCSGSY, गैर–वाहन में 43% की प्रगति दर्ज की गयी है।

➢ दिनांक 30.09.2024 तक पी.एम.ई.जी.पी. योजना अंतर्गत मार्जिन मनी वितरण हेतु निर्धारित लक्ष्य रु. 26.82 करोड़ के सापेक्ष बैंकों द्वारा रु. 31.79 करोड़ की राशि क्लेम की गयी है, जो कि निर्धारित लक्ष्य का 118% है। अतः विभाग से आग्रह है कि वे मार्जिन मनी क्लेम राशि का बैंकों को भुगतान करने का कष्ट करें।

5

File No. IFC-SLBC/1/2022-IFC-Finance Department (Computer No. 32598)
Generated from eOffice by ANIL KUMAR SHARMA, ADVISOR BANKING-AKS-Institutional Finance Cell, ADVISOR BANKING, Finance Department on 17/01/2025 04:23 PM

- विभाग के प्रतिनिधियो द्वारा निम्नवत अवगत कराया गया :

➢ PM Svanidhi योजना 31 दिसंबर को समाप्त हो जायेगी, और 1 जनवरी से नई योजना शुरू होनी प्रस्तावित है।

➢ बैंकों से अनुरोध है कि सभी ऋण योजनाओं के लंबित आवेदनो का निस्तारण अतिशीघ्र करे ताकि निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति हो सके।

- सचिव, पशुपालन, उत्तराखण्ड शासन द्वारा सदन को निम्नवत अवगत कराया गया :

➢ बैंकों से आग्रह है कि वे राज्य में मुख्यमंत्री राज्य पशुधन योजना अंतर्गत लम्बित ऋण आवेदन पत्रों का यथा समय सीमा में निस्तारण करें।

➢ आगामी सब–कमिटी एवं एस.एल.बी.सी. बैठक मे मुख्यमंत्री राज्य पशुधन योजना पर चर्चा की जाय।

(कार्यवाही : समस्त बैंक/एस.एल.बी.सी.)

13.मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना (MSSY) :

- कोऑपरेटिव बैंक प्रतिनिधि द्वारा सदन को अवगत कराया गया की मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना (MSSY) अंतर्गत ब्याज दर का 8 प्रतिशत निर्धारण निश्चित ब्याज (fix Interest) पर किया गया है, जिसकी वजह से बैंक के Interest Margin में न्यूनतम 2 प्रतिशत अंतर न होने के कारण ऋण प्रदान करने मे बाधा आ रही है।

- अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नवत निर्देशित किया गया :

➢ उरेडा विभाग, मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना (MSSY) अंतर्गत निर्धारित ब्याज दर, जो कि 8 प्रतिशत है, पर पुर्नविचार करें।

➢ उरेड़ा प्रतिमाह योजना अंतर्गत शाखा, बैंक एवं जिले वार लम्बित ऋण आवेदन पत्रों की सूची सम्बन्धित बैंकों के नियंत्रकों को प्रेषित करने हेतु एस.एल.बी.सी. को प्रेषित करें।

➢ योजना अंतर्गत प्रगति की अद्यतन स्थिति से ऊर्जा विभाग शासन को अवगत करायें।

(कार्यवाही : उरेड़ा /ऊर्जा विभाग)

14. लम्बित वसूली प्रमाण पत्र (R.C.) :

- सहायक महाप्रबन्धक, एस.एल.बी.सी., उत्तराखण्ड द्वारा निम्नवत अवगत कराया गया :

➢ अपर मुख्य सचिव, वित्त, उतराखण्ड शासन की अध्यक्षता में राजस्व विभाग की एक महत्वपूर्ण बैठक दिनांक 28.09.2024 को आयोजित की गई, जिसमें RC(रिकवरी प्रमाणपत्र) के मिलान पर चर्चा की गई।

➢ बैठक मे दिए गए निर्देशों के पश्चात RC वसूली में वृद्धि हुई है। पिछली तिमाही में ₹12 करोड़ वसूली हुई थी, जबकि इस तिमाही में लगभग ₹40 करोड़ वसूली हुई हैं।

15. ग्रामीण उद्यम वेग वृद्धि परियोजना (REAP) :

- बैठक में परियोजनान्तर्गत व्यक्तिगत एवं सामुदायिक (CLF) उद्यम स्थापना हेतु बैंक ऋण का प्रावधान है जिसमें समस्त बैंको से अपेक्षित सहयोग की अपेक्षा है। अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि विभाग परियोजनान्तर्गत बैंक ऋण संबंधी ऋण आवेदन पत्रों के Application received, sanction और disbursed का डाटा बैंकवार, शाखावार एवं जिलेवार एस.एल.बी.सी. को प्रत्येक माह अनुवर्ती कार्यवाही (follow up) हेतु प्रेषित करें।

(कार्यवाही : रीप/समस्त बैंक)

6

File No. IFC-SLBC/1/2022-IFC-Finance Department (Computer No. 32598)
Generated from eOffice by ANIL KUMAR SHARMA, ADVISOR BANKING-AKS-Institutional Finance Cell, ADVISOR BANKING, Finance Department on 17/01/2025 04:23 PM

16. <u>प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) एवं पुर्नगठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (RWBCIS)</u> :

- राज्य सहकारी बैंक के प्रतिनिधि द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों में अधिक मात्रा मे उत्पादित राजमा और कुलथ जैसी फसलों को भी अधिसूचित फसलों (Notified Crop) कि सूची में शामिल करने का अनुरोध किया गया।
- कृषि विभाग के प्रतिनिधि द्वारा निम्नवत अवगत कराया गया :

➢ अधिसूचित फसलों (Notified Crop) कि सूची 3 वर्षो के लिए बनाई जा चुकी है, अब नई फसलों को अगली बार सूचीबद्व किया जाएगा।

➢ सभी बैंकों से अनुरोध है कि वे KCC ऋण वितरण के साथ–साथ ही बीमा का डाटा भी पोर्टल में अपलोड कर दे।

- अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नवत निर्देशित किया गया :

➢ NRLM विभाग, वित्त विभाग को इस आशय से एक reference भेजे कि शासन द्वारा कृषि सम्बन्धी किया – कलापों के साथ ही समूह अवधारणा अंतगर्त वितरित ऋणों में प्रदत्त स्टाम्प शुल्क छूट की राशि को ₹ 5 लाख से बढ़ाकर 6 लाख करने के सम्बन्ध में विचार कर आवश्यक निर्देश जारी करे।

➢ सभी बीमा प्रदाता फसल बीमा योजना अंतर्गत लंबित दावों की प्रतिपूर्ति अतिशीध्र कर शासन को अवगत कराये।

(कार्यवाही : NRLM विभाग/कृषि बीमा क०/समस्त बैंक)

17. <u>ऑनलाइन/साईबर धोखाधड़ी</u>

- क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सदन को निम्नवत अवगत कराया गया :

➢ भारतीय रिजर्व बैंक की नई पहल "म्यूल हंटर" परियोजना के तहत AI का उपयोग करके धोखाधड़ी लेनदेन की पहचान और रोकथाम की जाएगी।

➢ वित्तीय धोखाधड़ी रोकने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनेक जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे है।

- बैंकों के प्रतिनिधियों द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि ग्राहकों को वित्तीय धोखाधड़ी से बचाने के लिए सभी बैंकों द्वारा ठोस कदम उठाए जा रहे हैं।

- बैठक के अंत में अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नवत निर्देशित किया गया :

➢ सभी लंबित और नए ऋण आवेदनों को 15 जनवरी तक स्वीकृत और वितरित करने का लक्ष्य निर्धारित करे।

(कार्यवाही : समस्त बैंक)

भारतीय स्टेट बैंक STATE BANK OF INDIA SLBC. AO-3 राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति प्रशासनिक कार्यालय-3

सहायक महाप्रबन्धक
(राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखण्ड)

7

File No. IFC-SLBC/1/2022-IFC-Finance Department (Computer No. 32598)
Generated from eOffice by ANIL KUMAR SHARMA, ADVISOR BANKING-AKS-Institutional Finance Cell, ADVISOR BANKING, Finance Department on 17/01/2025 04:23 PM